



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275582
CG-DL-E-19082026-275582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4399]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4579(अ).— केंद्रीय सरकार, रबड़ नियम, 1955 के नियम 3 और 4 के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री हरि एन (एन. हरि) को वाणिज्य विभाग के अधीन, रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, केरल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 17.06.2026 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. के-40011/2/2020-बागान ग]

अमित कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4579(E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) read with rules 3 and 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government hereby appoints Shri Hari N (N. Hari) as Chairman, Rubber Board, Kottayam, Kerala under the Department of Commerce for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the post i.e. 17.06.2026, and until further orders, whichever is earlier.

[F. No. K-40011/2/2020-Plant C]

AMIT KUMAR, Jt. Secy.